कार्यालय विहित प्राधिकारी (जिला कलक्टर/उप खण्ड अधिकारी/तहसीलदार...*सीकर*...)

क्रमांकः 304 /राजस्व/06 दिनांक 29/05/2006

संपरिवर्तन आदेश

आर्य शिक्षा निकेतन समिति दौलतपुरा, जिला-सीकर जरिये सचिव रघुनाथ सिंह रणवां के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधुति से धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि भूमि प्रयोजन के लिए राजस्थान भू-राजस्व संपरिवर्तन (नियम, 1992) के नियम 8(2)(8)(3) के अधीन अकृषि प्रयोजनों के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं-

1. आवेदक खातेदारी अभिधारी का नाम - *आर्य शिक्षा निकेतन समिति दौलतपुरा,सीकर*
   पिता/पति के नाम सहित पूरा पताः- *जरिये सचिव रघुनाथ सिंह रणवां पुत्र श्री लादूराम*
2. क्या आवेदक अनु. जाति या अनु. जनजाति का सदस्य है :- - *नहीं*
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा :-
   (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम - *दौलतपुरा, ग्राम पंचायत-दौलतपुरा, तहसील व जिला सीकर*
   (ख) भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टर में) *ख. नं. 1285/333 रकबा 0.1750 हैक्टेयर अर्थात् 1750 मीटर*
   (ग) प्रत्येक खसरा सं. और प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल(हैक्टर या व.मी. में) - *ख. नं. 1285/333 रकबा 0.1750 हैक्टेयर यानि 1750 वर्ग मीटर भूमि*

   टिप्पणी :- अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए रा. नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है। *प्रति संलग्न हैं ।*
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन :- *वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (संस्थानिक)*
5. संदेय प्रीमियम की दर :-

1.	200*वर्ग मीटर कर*	X 4.00=	800/-
2.	1550*वर्ग मीटर कर*	X 8.00=	12400/-
3.	25% *शास्ति*	=	3300/-
			16500/-

6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम - *राशी जरिये रसीद संख्या* G.A. 55/00054 पुस्तक संख्या - 421795 *दिनांक* 29/05/2006 *के द्वारा राज्य कोष में जमा हो चुकी है।*
7. चालान की सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम -

8. चालान की सं. तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम –

9. क्या आदेश नियमितीकरण के नियम 12 के अधीन जारी किया गया है : *नहीं*

10. अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो :– –

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा–

(1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) यदि आवेदन इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन सम्पहृत हो जायेगा।

(3) नियम–4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि किसी भाग को अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर

क्रमांकः– 304-309

दिनांकः– 29.5.06

प्रतिलिपिः–

(1) श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, सीकर (राज.)

(2) तहसील राजस्व लेखाकार तहसील, सीकर (राज.)

(3) सम्बन्धित ग्राम पंचायत/पटवारी हल्का ....

(4) सम्बन्धित श्री मन्त्री आर्य शिक्षा निकेतन समिति, दौलतपुरा

29/05/08

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर